राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक :F 26(4)( )//PMMVY-Trg/ICDS/2017-18/ 124897-5233 दिनांक : 6-7-18

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग
समस्त

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएं
समस्त

**विषयः-राज्य में प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना (PMMVY) के क्रियान्चयन हेतु दिशा-निर्देश।**
**प्रसंगः-विभाग का पूर्व पत्रांक 193060-92 दिनांक 08.12.2017**

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा आपको प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश दिए गए थे, जिसके अन्तर्गत लाभार्थियों को निर्धारित शर्ते पूरी करने पर 3 किश्तों में 5000/- की राशि सीधे बैंक खातों में जमा करायी जा रही है। इसी संबंध में भारत सरकार के निर्देशानुसार निम्न निर्देश ओर प्रदान किए जा रहे है :-

- ऐसी पात्र लाभार्थी जिनका PMMVY-CAS में पंजीकरण हो चुका है तो दूसरी व तीसरी किश्त के फार्म हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, लाभार्थी पर निर्भर ना रहे। ऐसे लाभार्थियों के फार्म समय आने पर और शर्तो के पूरा करने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लाभार्थी से शर्तो से संबंधित प्रमाण पत्र लेने के बाद स्वयं भरकर महिला पर्यवेक्षक को सत्यापन के लिए दे। महिला पर्यवेक्षक के सत्यापन के बाद उन्हें PMMVY-CAS में ऑनलाईन दर्ज करायें।
- PMMVY-CAS पर उपलब्ध "पेमेन्ट रिपोर्ट" की कॉपी साप्ताहिक रूप से हर सेक्टर की पर्यवेक्षक के साथ शेयर की जाए। पर्यवेक्षक सेक्टरवार कार्यकर्ताओं के साथ उनके आंगनबाड़ी केन्द्रों से जुडे लाभार्थियों की सूचना बॉटे ताकि जमा किए गए फार्म का स्टेटस कार्यकर्ताओं को भी मालूम हो। यदि लाभार्थी अन्य सरकारी योजनाओं के लिए भी पात्र हो तो उसकी सूचना भी कार्यकर्ता द्वारा बांटी जाए।
- योजना से संबंधित तीसरी किश्त का फार्म 1सी की सूचना भरते समय कार्यकर्ता को जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को मिली राशि की भी सूचना लिखी जाए। जिसका प्रारूप निम्नानुसार है। यह सूचना 1-सी फार्म के साथ जमा करना अनिवार्य है। डाटा एन्ट्री ऑपरेटर इस सूचना को PMMVY-CAS में भरेंगे।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | लाभार्थी का नाम | |
| 2. | लाभार्थी का आधार नम्बर | |
| 3. | क्या लाभार्थी को जननी सुरक्षा योजना का लाभ मिला है? | हॉ/नहीं |
| 4. | यदि हॉ, तो कितनी राशि मिली | |
| | | आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के हस्ताक्षर<br>आंगनबाड़ी का नाम एवं गांव का नाम |

- सभी लाभार्थियों का बैंक खाता एवं पोस्ट ऑफिस का खाता आधार से लिंक किया जाए। जिन लाभार्थियों का बैंक/पोस्ट ऑफिस में खाता न हो उनका खाता खुलवाने में महिला पर्यवेक्षक व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहयोग प्रदान करें। निम्न प्रपत्र में मासिक रूप में सूचना निदेशालय को भिजवायी जाये :-

| प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना | |
|---|---|
| जिले का नाम | |
| माह/वर्ष | |
| नए आधार नामांकन की संख्या | |
| नए खोले गए बैंक/पोस्ट आफिस खातों की संख्या | |
| हस्ताक्षर उपनिदेशक | |

अतः कृपया अपने जिले के संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारियों व महिला पर्यवेक्षकों को निर्देशित करावें कि प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के क्रियान्वयन में उपरोक्तानुसार कार्यवाही भी सुनिश्चित करें।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :F 26(4)( )//PMMVY-Trg/ICDS/2017-18/ 125234-236 दिनांक : 6-7-18

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर, राज0
2. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं।
3. एसीपी (उप निदेशक), मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

राज्य नोडल अधिकारी (PMMVY)/
अतिरिक्त निदेशक (आई)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर